षोडश माला, खंड 20, अंक 3

शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016
27 कार्तिक, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

संपादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इन्दु बक्शी
संयुक्त निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 20, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 3, शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016 / 27 कार्तिक, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा बधाई	
खिलाड़ियों और इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई	7- 8
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41	10-11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60	12
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

श्री भगवंत मान, संसद सदस्य के अनुचित आचरण की जांच के लिए जांच समिति को समय विस्तार 14

सभा पटल पर रखे गए पत्र 15 -20

कार्य मंत्रणा समिति

36वां प्रतिवेदन 21

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

25वें से 27वां प्रतिवेदन 21-22

सभा का कार्य 23-29

सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों को हिरासत में लेने और उनका उत्पीड़न करने के बारे में 40-43

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुकुमदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016 / 27 कार्तिक, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा बधाई

खिलाड़ियों और इसरो के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सभा रियो डि जेनेरो, ब्राज़ील में 5 से 21 अगस्त, 2016 तक आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलों में रजत पदक जीतने के लिए सुश्री पी.वी.सिंधू को और कांस्य पदक जीतने के लिए सुश्री साक्षी मलिक को बधाई देती है।

यह सभा रियो डि जेनेरो, ब्राज़ील में 7 से 18 सितम्बर, 2016 तक आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालिम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सर्वश्री मरियप्पन थांगावेलू और देवेन्द्र झाझरिया को, रजत पदक जीतने के लिए सुश्री दीपा मलिक को और कांस्य पदक जीतने के लिए श्री वरुण सिंह भाटी को भी बधाई देती है।

माननीय सदस्यगण, अहमदाबाद में 22 अक्तूबर, 2016 को आयोजित कबड्डी विश्व कप, 2016 के फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर भारत कबड्डी में विश्व विजेता बना। हमारी पुरुष हॉकी टीम ने कुआंतन, मलेशिया में 23 अक्तूबर, 2016 को आयोजित एशियाई चैम्पियन्स ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले मे पाकिस्तान को हराकर प्रतियोगिता जीती। हमारी महिला हॉकी टीम भी सिंगापुर में 5 नवंबर, 2016 को आयोजित एशियाई चैम्पियन्स ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में चीन को हराकर प्रतियोगिता की विजेता बनी।

माननीय सदस्यगण, 11 नवंबर, 2016 को भी 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम ने इटली के आंद्रिया में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह सभा इन सभी खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि पर बधाई देती है।

ये उपलब्धियाँ राख़्ट्रीय गौरव का विषय हैं और हमारे सभी खिलाड़ियों, विशेख़कर उभरते हुए युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।

माननीय सदस्यगण, हमारे देश ने 28 अगस्त, 2016 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केन्द्र से दो स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह टैक्नोलॉजी, रॉकेटों के वजन को आधे से भी आधिक कम करके उनके प्रक्षेपण की लागत में कमी लाती है। 8 सितम्बर, 2016 को हमारे देश ने श्रीहरिकोटा से जी.एस.एल.वी. एफ. 05 द्वारा एक उन्नत जलवायु उपग्रह इनसैट 3 डी.आर. का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

इसके साथ ही, हमारे देश ने एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े प्रयासों में अपनी कुशलता और क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने हमें गौरवान्वित किया है।

यह सभा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (इसरो) के वैज्ञानिकों को बधाई देती है और उनके भावी प्रयासों में सफलता की कामना करती है।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, कल जो हमने मुद्दा उठाया था, खासकर रूल-56 में एडजर्नमेंट मोशन हमने आज भी दिया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं एडजर्नमेंट मोशन को देख लूंगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह इम्पॉर्टेन्ट है।...(व्यवधान) उस एडजर्नमेंट मोशन को आप सम्मति दें, ताकि डिस्कशन चले।...(व्यवधान) सभी पार्टियों के नेतागण यह चाहते हैं, पूरा सदन चाहता है कि जो गरीबों को तक़लीफ हो रही है, जो मज़दूरों को तक़लीफ हो रही है, जो डेली वेज अर्नर्स को तक़लीफ हो रही है, जो शॉपकीपर्स को तक़लीफ हो रही है, जो कॉफी प्लांटर्स को तक़लीफ हो रही है...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): सभाध्यक्षा जी, जो खड़गे साहब बार-बार, और खड़गे साहब के साथ बाकी लोग, एडजर्नमेंट मोशन की बात बोल रहे हैं, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार इस नोटबंदी के बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार है।...(व्यवधान) पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है, नोटबंदी के साथ है, ब्लैक मनी को, बैड मनी को, ट्रेल मनी को खत्म करना चाहती है।...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[1]प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्नकाल।

प्रश्न सं. 41 - श्रीमती रेखा वर्मा।

(प्रश्न संख्या 41)

[हिन्दी]

श्रीमती रेखा वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने देश के हित में काले धन पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया।...(व्यवधान) देश की जनता आपको बधाई देना चाहती है।...(व्यवधान) देश में कई ज़गहों पर पांच सौ रुपए और एक हजार रुपए के नोटों का ढेर जलता और बहता दिख रहा है।...(व्यवधान) इस पर सभी हैरान हैं।...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार नकली नोटों के साथ-साथ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रेखा जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सदन चलाना नहीं चाहते।

... (व्यवधान)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12:00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 490)

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न बारह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री कमल नाथ, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, डॉ. एम.वीरप्पा मोइली, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, प्रो0 सौगत रॉय, श्री के.एन. रामचन्द्रन, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. ए. सम्पत, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री राजेश रंजन, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री पी. करूणाकरन, मो. सलीम और श्री जोस के. मणि से करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इनके लिए सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है।

इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... <u>(व्यवधान)</u>

<u>अपराह्न 12.01 ½ बजे</u>

(इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री प्रसून बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

श्री भगवंत मान, संसद सदस्य के अनुचित आचरण की जांच के लिए जांच समिति को समय विस्तार

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा कि दिनांक 25 जुलाई, 2016 को मैंने श्री भगवंत मान, संसद सदस्य द्वारा संसद भवन परिसर की वीडियोग्राफी करने एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फुटेज को सोशल मीडिया वेबसाइट पर पोस्ट करने के अनुचित आचरण की जांच करने के लिए एक नौ सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा को वर्तमान सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

मुझे इस जांच समिति के माननीय सभापति से एक निवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा को और दो सप्ताह तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त कारणों और आधारों पर उचित रूप से विचार करने के बाद, मैंने समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा को दिनांक 19 नवंबर, 2016 से और दो सप्ताह तक बढ़ाए जाने के निवेदन को स्वीकार कर लिया है।

जैसा कि मैंने पहले भी टिप्पणी की है, कि मामले की गंभीरता के मद्देनजर, श्री भगवंत मान, संसद सदस्य को आगे यह सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में निर्णय लिए जाने तक सभा की बैठकों में भाग न लें।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पालिसियों का जारी किया जाना) विनियम, 2016 जो 15 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग. /16 /128/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (आठवां संशोधन) विनियम, 2016 जो 01 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग. /20/132/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2016 जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग. /15 /127/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा कारबार का संव्यवहार करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का व्यय) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग. /12 /124/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 जो 01 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग. /21/133/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकक की अर्हता) (निरसन) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग. /8 /120/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 जो 18 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई /रेग. /17/129/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सलाहकारी समिति) विनियम, 2016 जो 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआईआईएसी/रेग. /19/131/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारबार की आस्तियां, देयताएं और शोधन-क्षमता की मात्रा) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/ रेग. /9/121/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा आभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग. /11/123/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारबार का संव्यवहार करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का व्यय) विनियम, 2016 जो 12 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/ रेग./14/126/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारबार की आस्तियां, देयताएं और शोधन-क्षमता की मात्रा) विनिमय, 2016 जो 09 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/ रेग./7/119/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण या अस्थायी आग्रिम) विनियम, 2016 जो 12 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0 सं0 आईआरडीएआई/रेग.13/125/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ0सं0आईआरडीएआई/रेग./3/115/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) अधिसूचना संख्या एफ0सं0आईआरडीएआई/रेग./18/130/2016 जो 18 जुलाई,2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वित्तीय र्वा 2016-17 के दौरान भारतीय बीमाकर्ता के साथ पुनर्बीमा की जाने वाली प्रत्येक सामान्य बीमा पालिसी पर बीमा की गई रकम के बाध्यकारी अध्यर्पण तथा उसके निबंधन और शर्तों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5318/16/16]

(2) कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5319/16/16]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटीज ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 104/36/एसीसीटीएस.- में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.- 5320/16/16]

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 30 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी./18-सी.डब्ल्यू.ए./9/2016 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.- 5321/16/16]

(ii) सा.का.नि.922(अ) जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 अक्तूबर 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(iii) सा.का.नि.855(अ) जो 6 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.- 5322/16/16]

(3) सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(i) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 28 सितंबर, 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.1-सी.ए.(5)/67/2016 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.- 5323/16/16]

(ii) का.आ.3015(अ) जो 21 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ.1634(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.- 5324/16/16]

(4) (i) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी.- 5325/16/16]

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

36वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

… (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 ½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

25वें से 27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) 'राष्ट्रीय ग्रामीण वकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआर)' संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(2) 'प्रधानमंत्री आवास योजना---ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)' संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

---

* ये प्रतिवेदन दिनांक 31 अगस्त, 2016 को लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 71क के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए, जब सदन सत्र में नहीं था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

(3) 'बीपीएल सर्वेक्षण [मौजूदा सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना, 2011' संबंधी 16वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

<u>सभा का कार्य</u>

[अनुवाद]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): महोदया आपकी अनुमति से, मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 21 नवंबर, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य में निम्नलिखित शामिल होगा:-

1. आज की कार्य-सूची से अग्रेषित सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार (*प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार करना तथा पारित करना)*
2. राज्य सभा द्वारा यथा पारित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2016 पर विचार करना तथा पारित करना।
3. निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार तथा पारित करनाः-

   (क) सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016

   (ख) नावधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016
4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर विचार करना तथा पारित करना।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा के कार्य के संबंध में निवेदन सभा पटल पर रखे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

*डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनूसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप में उचित बढ़ोतरी की जाए।

2. पब्लिक सैक्टर अंडरटेंकिंग में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण दिया जाए।

***श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य):** महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. मुंबई साउथ सैंट्रल संसदीय क्षेत्र में पश्चिम रेलवे की पटरियों के आस-पास बसी झोपड़ बस्ती को रेलवे विभाग द्वारा रोज परेशान किया जाता रहा है अतः इनके पुनर्वास से संबंधित विषय और

2. देश में कई सरकारी एवं पीएसयूज में कार्यरत कर्मचारी वी.आर.एस. लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें काफी परेशानी हो रही है, इसमें से एक मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट भी है। अतः इन कर्मचारियों के वी.आर. एस0 से संबंधित विषय।

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :** महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए।

1. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध लौह अयस्क पर आधारित स्टील कारखाना लगाये जाने के संबंध में।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

2. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में कृषि आधारित उद्योग के लिए मानव श्रम की पर्याप्त उपलब्धता हे और रोजगार हेतु कृषि पर आधारित उद्योगों को लगाए जाने की आवश्यकता है।

*__श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :__ महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विषयों को शामिल कराकर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जानवरों की अन्ना प्रथा जिसमें जानवरों को खुला छोड़ रखा गया है, के कारण किसानों की फसलें नट हो रही हे, उसके निदान के लिए हर न्याय पंचायत स्तर पर एक गौ सेवा केन्द्र खोलने हेतु सदन में चर्चा कराकर इसके निदान के उपाय किए जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के बाँदा जिले में एक गैस वाटकिंग प्लांट लगाने हेतु स्वीकृत हुआ था, उसके लिए जमीन भी जिला प्रशासन से देने की बात हो गयी थी। लेकिन उसे वहाँ से कहीं और लगाया जाने की योजना की जानकारी मिली है, जिससे इस उद्योग शून्य जनपद में गहरा आक्रोश है। कृपया इस पर सदन में चर्चा कराकर इस गैस वाटकिंग प्लांट को बाँदा में ही लगाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

*__श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :__ महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा अंतर्गत सकरी-नाटा नदी को जोड़ने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था, जिसे ठुकरा दिया गया है। इस नदी के जुड़ने से नालंदा, शेखपुरा और नवादा की हजारों एकड़ जमीन में पटवन हो सकता है, जिससे किसानों की पैदावार पर असर पड़ सकता है। अतः सरकार की महत्वकांक्षी रीवर-लिंक योजना के अंतर्गत सकरी-नाटा नदी को जोड़ने की मैं केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

2. बिहार में मछुआरा समुदाय आति पिछड़ा समुदाय में है, जिसे अनुसूचित जाति में जोड़े जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। मगर अभी तक इस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिली है । जबकि उन्हें अनुसूचित जाति में जोड़े जाने का वायदा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चुनाव के दौरान किया गया था। अतः मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये ।

***श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह)** : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए ।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ गौ वंश को बचाने के लिए सरकार युद्धस्तर पर गौर अभ्यारण प्रारंभ करे ।

2. देश में विधानसभा एवं लोक सभा के चुनाव एक साथ कराये जाने एवं सरकार के खर्च पर चुनाव कराने पर विचार ।

[अनुवाद]

[*]**श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी):** अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मद पर चर्चा की जाए ।

तमिलनाडु में, बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त सात अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 31 जिलों में से केवल 22 जिलों को कवर करता है। इसके अतिरिक्त, शेष नौ जिलों को भी एन.एच.एम. जिला घोषित किया जा सकता है, जिससे इन जिलों के किसानों को भी एन.एच.एम. का लाभ मिलेगा।

---

[*] सभा पटल पर रखा गया ।

[हिन्दी]

***श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :**महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

1. उत्तर बिहार के कोसी प्रमंडल के अन्तर्गत सहरसा एवं वीरपुर में राज्य सरकार का हवाई अड्डा काफी पुराना है एवं छोटा विमान का प्रचालन भी होता है, इस हवाई अड्डा का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण कर वाणिज्यिक सेवा शुरू करने से इस क्षेत्र को जनता को सुविधा के साथ-साथ सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अतः सहरसा एवं वीरपुर हवाई अड्डा का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण कर वाणिज्यिक सेवा शुरू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाये।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के जिला मुख्यालय में रेलवे का फाटक है एवं इस फाटक से सुपौल जिला के 75 प्रतिशत लोगों का आवागमन अपने दैनिक जरूरत की पूर्ति के लिए लगा रहता है, एवं इसी फाटक से दो राजपथ क्रमशः सुपौल से रानीगंज वाया पिपरा, त्रिवेणीगंज एवं सुपौल से भपटियाही वाया किशनपुर गुजरती है तथा इस फाटक के बगल में सुपौल का बस अड्डा भी है, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर जाम लगा रहता है, ऐसी परिस्थिति में सुपौल के लोहिया नगर चौक से पिपरा एवं किशनगंज जाने वाली सड़क पर सड़क उपरी पुल आवश्यक हे। अतः सुपौल के लोहिया नगर चौक से पिपरा एवं किशनगंज जाने वाली सड़क पर सड़क उपरि पुल बनाने हेतु सख्त नियम बनाया जाये।

***श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र मावल में पनवेल, खालापुर स्टेशन से लगभग एक लाख नागरिक रोज मुंबई तक लोकर ट्रेन से आवागमन करते हैं अतः इन स्टेशंस पर एक्सीलेटर लगाये जाने की व्यवस्था करने और

* सभा पटल पर रखा गया।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की भारी परेशानी है जबकि इन स्टेशन से प्रतिदिन लाखों लोग आवागमन करते हैं और इन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है। अतः इन स्टेशन पर आर.ओ. वाटर व्यवस्था किए जाने से संबंधित विषय को शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

*__डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली):__ 16 अक्तूबर, 2013 से, दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत अफ्रीकी कोटा पारित किया गया है, जिसके तहत फ्रेंचाइजी को देश के बहुसंख्यक दौड़ समूह से कम से कम एक खिलाड़ी और शौकिया टीमों को दो खिलाड़ियों को मैदान में उतारना होगा। जिन फ्रेंचाइजी के 70 प्रतिशत मैचों में एक से अधिक अश्वेत अफ्रीकी हैं, उन्हें योग्य खिलाड़ियों की औसत अनुबंध लागत के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रोत्साहन आधारित आरक्षण तब लागू किया गया था जब यह देखा गया कि अधिकांश अश्वेत अफ्रीकी खिलाड़ी अंडर-19 और प्रांतीय स्तर पर खेल छोड़ देते हैं, जिस उम्र में, यदि उन्हें अनुबंधित नहीं किया जाता है, तो उन्हें नौकरी खोजने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि जब अश्वेत अफ्रीकी खिलाड़ी तंत्र में आते हैं, तो उन्हें अक्सर अलग-थलग कर दिया जाता है। पिछले सीज़न में केवल दो अश्वेत अफ्रीकी खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी के 80 प्रतिशत से अधिक खेलों में शामिल हुए और जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने अन्य नस्लों के खिलाड़ियों की तुलना में कम ओवर फेंके और निचले स्तर पर बल्लेबाजी की। क्रिकेट सहित सभी खेलों में एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों या पी.एस.यू. द्वारा समर्थित सभी खेलों में एक समान प्रोत्साहन आधारित योजना लाई जानी चाहिए।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1986 में एक उप-नगर बनाने के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नरेला में भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इसे अधिग्रहित किया गया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस भूमि पर हजारों फ्लैट बनाए जाने थे; कुछ पूरे हो चुके हैं जबकि अधिकांश अभी भी निर्माणाधीन हैं। जिन फ्लैटों का काम पूरा हो चुका है, उनमें लोग रहने नहीं आए हैं क्योंकि परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण निवासी उनमें रहना नहीं चाहते हैं। इस क्षेत्र में मेट्रो रेल बिछाने के लिए एक सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि शहरी विकास मंत्री तुरंत इस मुद्दे पर ध्यान दें और नरेला उपनगर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें जो वर्ष 1986 से लंबित है।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा में 'शून्य काल' शुरू किया जाए। अब श्री राम मोहन नायडू बोलें।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): महोदया, मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, आप मेरे और मेरे सहयोगी टीडीपी सांसदों, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से उसके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया है, के लिए एक सशक्त गवाह साबित हुई हैं। हमारा यह अनुरोध है कि उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष दर्जा देना होगा लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने काफी विचार-विमर्श के बाद 7 सितंबर की रात को आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। ... (*व्यवधान*)

महोदया, घोषणा हुए ढाई महीने हो गए हैं लेकिन विशेष पैकेज के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। ... (*व्यवधान*) जब भी हम केंद्र सरकार से इस बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि वे पूरी तरह से हमारे साथ हैं। आज भावना तो है, लेकिन शब्द पूरी तरह से गायब हैं। हम आंध्र प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि जो कुछ भी वे कह रहे हैं, उसके लिए कानूनी वैधता होनी चाहिए।... (*व्यवधान*) पहले भी कई मामलों में हम आहत हुए हैं। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जो प्रतिबद्धताएं कर रही है, उन्हें कागज पर उतारना होगा और संसद में पारित करना होगा। पाँच वर्ष या दस वर्ष बाद भी, यह राज्य पर लागू होना चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहना नहीं चाहते। उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। उस समय से आज तक ढाई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन कोई स्पष्टता नहीं है; आंध्र प्रदेश राज्य में अभी भी भ्रम की स्थिति है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती गीता कोथापल्ली और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): महोदया, मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज, मैं अपने राज्य ओडिशा के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूं।... (*व्यवधान*) जो मुद्दा मैं अब उठाने जा रहा हूं, उसे मैंने पहले भी इस सदन में उठाया है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ओडिशा के पारादीप में आई.ओ.सी.एल. की स्थापना के बाद से, प्राधिकरण ने वादा किया था कि शिक्षित भूमि विस्थापितों और विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी आधार पर प्रतिष्ठान में भर्ती किया जाएगा। आई.ओ.सी.एल. प्राधिकरण ने स्थानीय क्षेत्र के विस्थापित युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया, लेकिन उन्हें आईओसीएल की मूल परियोजना में रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ... (*व्यवधान*) आई.ओ.सी.एल. दावा कर रहा है कि उन्होंने आई.टी.आई., कटक में कौशल विकास के लिए वर्ष 2005 में विस्थापित परिवारों के 65 अभ्यर्थियों को प्रायोजित किया है। और 2015 में, उन्होंने कौशल विकास के लिए 30 और अभ्यर्थियों को प्रायोजित किया।

मैं जानना चाहूंगा कि इन 95 अभ्यर्थियों में से कितने को आई.ओ.सी.एल. की मूल परियोजनाओं में आज की तारीख तक भर्ती किया गया है। ... (*व्यवधान*) मेरे पिछले सवाल के जवाब में, सदन के एक प्रावधान के तहत, मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि आईओसीएल प्राधिकरण अनुबंधों के तहत भू-विस्थापितों और विस्थापित लोगों को रोजगार दे रहा है, लेकिन ठेकेदारों के तहत भर्ती से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जब काम खत्म होगा, तो वे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे।... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे स्थानीय विस्थापितों और भू-विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करें और उन्हें पारादीप, ओडिशा में आई.ओ.सी.एल. में स्थायी रूप से नियुक्त करें।... (*व्यवधान*)

श्रीमती गीता कोथापल्ली (अराकु): महोदया, आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मुझे 'शून्य काल' में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। ... (*व्यवधान*)

मैं आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान और पहुंच एक बड़ी समस्या रही है। ... (*व्यवधान*) 2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी कुल भारतीय आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत हैं और लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में रहते हैं।

सरकार के प्रयासों के बावजूद, ये आदिवासी क्षेत्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में भौतिक अवसंरचना की समस्या है। चिकित्सक और बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। इन स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-मेडिसिन की शुरूआत है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-मेडिसिन केंद्र शुरू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती गीता कोथापल्ली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार का बयान राज्य सभा में ... * ने दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम नहीं लेना है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मि लत नहीं कया गया।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: मैं माफी चाहती हूं लेकिन ये वही लोग हैं जो पहले राजनीति अर्थ के प्रभाव से करते थे, ...(व्यवधान) आज इनको धन का अभाव दिखाई दे रहा है और धन का अभाव तब दिखाई दे रहा है ...(व्यवधान) जब उड़ी में शहादत देने वाले हमारे सैनिक ...(व्यवधान) आज जो लोग कालेधन की लाइन में खड़े हैं तो अकास्मिक मृत्यु को शहादत के बराबर रखने की विरोधाभासी अनैतिक राजनीति कुछ लोग इस देश में कर रहे हैं। ...(व्यवधान) काले धन से आर्जित दिक्कतों को खत्म करने के लिए डिमोनिटाइजेशन की प्रोसेस इस देश में शुरू की गई है। ...(व्यवधान) वर्ष 2014 की व्यथा को वर्ष 2016 में लेकर आ रहे हैं जबकि वर्ष 2016 में जन धन के खाते खुलवाए गए और ब्लैक मनी का कानून लाया गया, ...(व्यवधान) ब्लैक मनी कानून के तीन महीने तक नोटिस पीरियड भी दिया कि अगर किसी के पास धन है तो जमा कराए और आज वही लोग कालेधन से प्रभावित हैं इसीलिए शायद उनकी चीख पुकार निकल रही है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री आलोक संजर, श्री अनूप मिश्रा, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री शिवकुमार उदासि, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्री देवजी एम. पटेल, श्री राहुल कस्वां, श्री हरीश मीना, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और श्री रोड़मल नागर को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): अध्यक्ष महोदया, मुझे लोक महत्व के एक गंभीर मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह हमारे देश के लोगों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान करने से संबंधित है। सैकड़ों-हजारों किसान और छात्र पीड़ित हैं। जमीनी स्तर पर एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। यद्यपि 40 प्रतिशत का केंद्रीय लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, फिर भी भारी मात्रा में क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है। विशेष रूप से ओडिशा राज्य और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर में, छात्रों और किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है और बैंक अपनी ऋण योजनाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं।

इसलिए, मैं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मैं किसानों की हित के बारे में बोलना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आज बिहार में धान की अच्छी फसल हुई है। ...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय कहा था कि हम किसानों का लागत मूल्य का डेढ़ गुणा मुनाफा देंगे। किसानों का जो लागत लग रहा है वह उन्हें नहीं मिल रहा है ...(व्यवधान) ऐसी परिस्थिति में धान की कीमत कम से कम 1800/- प्रति क्विंटल किया जाए जिससे किसानों को लाभ हो सके।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भांखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ दिलान चाहता हूं, राजस्थान को पानी कम मिल रहा है। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार ने 29 जनवरी, 1955 को पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में राजस्थान को आठ एफएमए पानी देने का वायदा किया था लेकिन वह पानी नहीं मिला। ...(व्यवधान) 13 जनवरी, 1959 को राजस्थान को सतलुज नदी की तरफ से पानी देने के लिए केन्द्र सरकार ने ऐलान किया था। ...(व्यवधान) 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राजस्थान को 8.6 एफएमए पानी देने का ऐलान किया था। महोदया, आज तक पंजाब ने राजस्थान को पूरा पानी नहीं दिया है। ...(व्यवधान) मेरा सरकार से आग्रह है कि 24 जून, 1985 को केन्द्र के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने राजस्थान, हरियाणा और

पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायी थी, ताकि तीनों राज्यों को बराबर-बराबर पानी मिले, लेकिन आज तक राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं मिला है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यन्त सिंह, श्री देवजी एम. पटेल, श्री राहुल कस्वां और श्री हरीश मीना को श्री निहाल चन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, यदि आप अनुमति दें, तो मैं अपना विय परिवर्तित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) राज्य सभा में नेता, प्रतिक्ष ने जो बयान दिया है, उस बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, यदि आप अनुमति दें, तो मैं अपना विषय परिवर्तित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) नेता, प्रतिपक्ष ने जिस तरह से उरी की घटना में शहीद हुए लोगों की ...(व्यवधान) शहादत को नोटबंदी के बाद बैंक की लाइनों में लगे लोगों की आकस्मिक मृत्यु से कम्पेयर किया है ...(व्यवधान) यह इस देश के लिए निश्चित रूप से शर्मनाक है। ...(व्यवधान) मैं मांग करना चाहता हूं कि सदन में इस बात का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए कि नेता, प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया है, उस पर वह माफी मांगे। ...(व्यवधान) वे देश से उस बारे में लिखित में माफी मांगे। ...(व्यवधान) क्योंकि पूरे देश के सैनिकों का इसमें अपमान हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री रोड़मल नागर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री हरीश मीना, श्री राहुल कस्वां, श्री देवजी एम. पटेल, श्री शिवकुमार उदासि और श्री उदय प्रताप सिंह, को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी (राजमपेट): अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि पाइलर शहर, जो मेरे राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। ... (*व्यवधान*) मेरा प्रस्ताव पाइलर शहर के चौड़ीकरण से जुड़ा

हुआ है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 205 इस शहर से होकर गुजर रहा है। … (*व्यवधान*) इस पाइलर कस्बे के लिए वर्ष 2009 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बाईपास निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था और इसे मंजूरी भी मिल चुकी है। … (*व्यवधान*) भूमि अधिग्रहण के लिए मंत्रालय की ओर से 54 लाख रुपए की राशि जमा करायी जा चुकी है। … (*व्यवधान*) हमने इस बाईपास के निर्माण की मांग को लेकर कई आंदोलन देखे हैं। … (*व्यवधान*) लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। … (*व्यवधान*) अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बाईपास का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए और क्षेत्र के लोगों के डर को दूर किया जाए। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सब इस पर डिसकशन नहीं चाहते? क्यों आप सब रोज-रोज हंगामा करते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंत कुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्षी दलों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इस *नोटबंदी* पर चर्चा के लिए तैयार है। ... (*व्यवधान*) हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (*व्यवधान*) यदि वे इसे आज दोपहर से शुरू करना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं। ... (*व्यवधान*) यदि वे इसे सोमवार को शुरू करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। ... (*व्यवधान*) वे सदन में बाधा क्यों डाल रहे हैं? ... (*व्यवधान*) वे इस बहस को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल दें। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप चर्चा चाहते हैं, तो मैं इसकी अनुमति दूंगी। मैं तैयार हूं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं और सरकार भी तैयार है। फिर आप सदन को क्यों परेशान कर रहे हैं?

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष महोदया, सदन से बाहर गलत धारणा नहीं जानी चाहिए। ... (*व्यवधान*) हम नियम 56 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं और हम अभी इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आप इसे शुरू कर सकते हैं। ... (*व्यवधान*) हम इसके लिए तैयार हैं। ... (*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: महोदया, माननीय वरिष्ठ नेता के जवाब में, मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष को काले धन, अनुचित तरीके से कमाए गए धन और अपराध के जरिए कमाए गए धन पर होने वाली चर्चा से भागना नहीं चाहिए। … (*व्यवधान*) हम चर्चा के लिए तैयार हैं और इसे किस नियम के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए, यह आपका निर्णय है। … (*व्यवधान*) हम सुझाव दे रहे हैं कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए। … (*व्यवधान*) अब हम चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं। … (*व्यवधान*) [हिन्दी] क्योंकि देश की 125 करोड़ जनता प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के इस डिसीजन के साथ है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, क्या आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए तैयार हैं?

… (*व्यवधान*)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैं उत्तर दूंगा। … (*व्यवधान*)

श्री अनंत कुमार: हम चर्चा के लिए तैयार हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: बाकी लोगों को भी अपने इश्यूज उठाने हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. जयवर्धन, एक मिनट। सुदीपजी की बात सुनने के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगी।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदया, अनंतकुमार जी ने जो कहा, उसके उत्तर में... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अनंत कुमार जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। यदि आप चर्चा के लिए तैयार हैं तो मुझे बताएं। चर्चा हो सकती है।

… (*व्यवधान*)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : हम चर्चा करना चाहते हैं। (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

<u>सदस्य द्वारा निवेदन</u>

श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों को हिरासत में लेने और उनका उत्पीड़न करने के बारे में

माननीय अध्यक्ष: डॉ. जयवर्धन के निवेदन के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगी।

जी हां, डॉ. जयवर्धन जी।

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे सांसद सदन के बीचोंबीच क्यों खड़े हैं। कृपया मुझे अपना निवेदन करने के लिए कुछ समय दीजिए... (*व्यवधान*)

हमारे नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, पुराची थलाइवी अम्मा की ओर से, हम आपके ध्यान में एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना लाना चाहते हैं, जो 17 नवंबर, 2016 की सुबह तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के तट के पास घटी।... (*व्यवधान*)

श्रीलंका की नौसेना ने उन भारतीय मछुआरों पर गोली चला दी जो अपनी पारंपरिक मछली पकड़ने की जल सीमा पाक खाड़ी में शांति से मछली पकड़ रहे थे। वर्तमान घटना के दौरान दो मछुआरे गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसी गोलीबारी की घटना पिछले कई वर्षों में नहीं हुई है और यह इस बात का संकेत है कि श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों की बहुत ही संवेदनशील आजीविका से जुड़ी समस्या को लेकर अब ज्यादा कड़े तरीके से पेश आ रही है।... (*व्यवधान*)

यह पता चला है कि कराईकल, पुडुचेरी में पंजीकृत एक मशीनीकृत मत्स्यन यान 13 नवंबर, 2016 को कराईकल मत्स्यन बंदरगाह से मछली पकड़ने के लिए रवाना हुआ था। 17 नवंबर, 2016 को, जब नाव में सवार मछुआरे अपनी पारंपरिक मत्स्यन सीमा में मछली पकड़ रहे थे, तो श्रीलंका की नौसेना ने निर्दोष मछुआरों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस गोलीबारी की घटना में दो मछुआरे, थिरु अरविन्थन (उम्र 20 साल) जो नांबियार नगर, नागापट्टिनम, तमिलनाडु निवासी श्री अंजप्पन के पुत्र हैं और श्री दिनेश उर्फ बाला मुरुगन (उम्र 20 साल) जो कराईकलमेडु, पुडुचेरी निवासी रामासामी के पुत्र हैं, गोली लगने से घायल हो गए। भारतीय तट पर लौटने के बाद, उन्हें तुरंत पुडुचेरी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

महोदया, यह विडंबनापूर्ण है कि यह घटना तमिलनाडु और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच हुई बातचीत के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के मछुआरों को सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मछली पकड़ने में सक्षम बनाने के तरीके और साधन ढूंढना था।

यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि विदेश मंत्री और भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री तथा श्रीलंका के विदेश मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री के बीच एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक भी हुई थी। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में, 5 नवंबर, 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद, इसे विशेष रूप से निम्नानुसार हल किया गया था:

> "दोनों सरकारें मछुआरा संघों के इस अनुरोध पर सहमत हुईं कि दोनों देशों की नौसेनाओं और तटरक्षक बलों द्वारा मछुआरों के साथ व्यवहार में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और किसी की जान का नुकसान नहीं होना चाहिए।"

मंत्री स्तर पर बनी इस विशिष्ट सहमति के बावजूद, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्दोष भारतीय तमिल मछुआरों पर गोलीबारी की घटना हुई है।

स्पष्ट रूप से, इस घटना पर भारतीय पक्ष की प्रतिक्रिया तत्काल और प्रभावी होनी चाहिए। हम अपने नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, पुराची थलाइवी अम्मा के रुख को भी दोहराते हैं कि भारत सरकार को श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को एक सुलझा हुआ प्रश्न नहीं मानना चाहिए... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती वी. सत्यबामा और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. जे. जयवर्धन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदया, हम अभी भी कहते हैं कि हम पूरी तरह से चर्चा के पक्ष में हैं, जो सदन में होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: हम चर्चा शुरू करते हैं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: लेकिन हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं... (*व्यवधान*) आप इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रही हैं? सरकार इस पर सहमत क्यों नहीं हो रही है? ऐसा राज्य सभा में हुआ था। लोक सभा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मेरा कहना यही है कि आपके ही लोग शून्य काल में कुछ कहना चाहते हैं। [अनुवाद]

उन्हें अपने निवेदन करने दीजिए।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: सरकार स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत इस पर चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है?… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है, [हिन्दी] मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। आप अगर चर्चा करना चाहते हैं, तो वे इसके लिए सहमत हैं। मगर हल्ले-गुल्ले में ऐसा नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदया, तमिलनाडु के हमारे माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मछुआरों से संबंधित मुद्दे के संबंध में मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार तटीय क्षेत्रों में तमिलनाडु के मछुआरों की समस्याओं के प्रति अत्यंत चिंतित है। मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिंता को हमारे माननीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के संज्ञान में भी लाना चाहूंगा।.. (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: जहां तक चर्चा का संबंध है, मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में अपना विनिर्णय पहले ही दे चुकी हूं। [हिन्दी] उसके आगे की बात कीजिए तो समझ में आता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, जब तक आप कन्विंस नहीं होतीं,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एडजर्नमेंट मोशन छोड़कर बात करिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उस पर निर्णय दे दिया गया है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, आप जब तक कन्विंस नहीं होतीं, तब तक हमारी ड्यूटी आपको कन्विंस कराना है।...(व्यवधान) और कन्विंस करके हम नियम 56 के तहत एक चर्चा चाहते हैं। आप अपनी सहमति दीजिए। पूरा हाउस यह चाहता है।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, हम जो कर रहे हैं, वह हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। हम लाइन में खड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे इस बात का खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा सोमवार, 21 नवंबर, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.26 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 21 नवंबर, 2016 / 30 कार्तिक, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित